संख्या-08/2016/653/60-2-16-2/3(12)/12

प्रेषक,

अरूण कुमार मिश्र
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 03 मार्च, 2016

विषय : अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में आई0सी0डी0एस0 ('एएए' सहित) प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-546/बा0वि0परि0/लेखा/2015-16, दिनांक 26 अगस्त, 2015 एवं संख्या-1344/बा0वि0परि0/लेखा/2015-16, दिनांक 18 फरवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 के अधीन आई0सी0डी0एस0 प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि रूपये 32,00,00/- हजार (रूपये बत्तीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष रूपये 16,00,00/- हजार (रूपये सोलह करोड़ मात्र) की धनराशि, जिसमें 'एएए' प्रशिक्षण कार्यक्रम की धनराशि रूपये 383.06 लाख भी सम्मिलित है, आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी। आहरित धनराशि को किसी भी दशा में पी0एल0ए0 खाते/बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(2) स्वीकृति धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजनाओं पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/दिशा- निर्देशों तथा वित्तीय अनुशासन का अनुपालन करते हुए व्यय किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बन्ध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि तक ही सीमित रहेगी।

(6) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्यादेश निर्गत किये जाये तथा कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।

(8) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-11-आई0सी0डी0एस0 प्रशिक्षण कार्यक्रम (के.60/रा.40-के.+रा.)-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

ये आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

संख्या-08/2016/653(1)/60-2-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2; प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग-1।
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनिराम सिंह)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in